

न्यायालय :- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्रमांक 153/2008 सत्रवाद
संस्थापित दिनांक 05-11-2008

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
मौ जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन
बनाम

धीरज सिंह पुत्र पूरनसिंह यादव उम्र 50 वर्ष।
निवासी ग्राम मगरोल थाना डीपार जिला दतिया
म0प्र0।

.....अभियुक्त

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री मनीष शर्मा
के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र0क0. 761/2007 इ0फौ0
से उदभूत यह सत्र प्रकरण क्र0 157/2011

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।
अभियुक्त द्वारा श्री बी0एस0यादव अधिवक्ता

//निर्णय//

//आज दिनांक

को घोषित किया गया//

01. वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपी धीरज का विचारण धारा 148, 341, 323, 294, 307, 302/149 भा0दं0वि0 के आरोप के अपराध के संबंध में किया जा रहा है। आरोपी पर आरोप है कि दिनांक 28.08.2007 के दिन के करीब 12:30 बजे से 01:00 बजे के मध्य ग्राम बडेरा के आगे मौ व सेवड़ा रोड पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ पूजाराम तथा जयकुमार की हत्या करने हेतु विधि विरुद्ध समूह बनाया तथा उक्त समूह के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में घातक हथियारों से सुसज्जित होकर पूजाराम, जयकुमार, राजेश के साथ बल व हिंसा प्रयोग कर बलवा कारित किया। उस पर यह भी आरोप है कि उक्त दिनांक समय

स्थान पर विधि विरुद्ध समूह के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी अशोक, राजेश, जयकुमार तथा पूजाराम का आम रास्ता में रोककर सदोष अवरोध कारित किया एवं उक्त समूह के सदस्य रहते हुए विधि विरुद्ध समूह के सामान्य उद्देश्य के अग्रसर करने में राजेश की लाठी डंडों से मारपीट कर उसे साधारण उपहति कारित की एवं उक्त दिनांक समय स्थान पर अन्य लोगों की उपस्थिति में फरियादी अशोक, राजेश, जयकुमार तथा पूजाराम को माँ बहन की अश्लील गालियाँ देकर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया। उस पर यह भी आरोप है कि उक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरुद्ध समूह का सदस्य रहते हुए फरियादी अशोक व राजेश की हत्या करने हेतु साशय या ज्ञान से व ऐसी परिस्थितियों में बंदूक से फायर किया जिससे कि यदि उनकी मृत्यु हो जाती तो हत्या के दोषी होते। उस पर यह भी आरोप है कि उक्त दिनांक समय स्थान पर विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए उक्त समूह के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए पूजाराम व जयकुमार की हत्या करने हेतु साशय या ज्ञान से उन्हें बन्दूकों से गोली मारकर उनकी मृत्यु कारित कर हत्या कारित की।

02. यह अविवादित है कि प्रकरण में सहआरोपीगण छविराम, राजाभैया, मैदानसिंह, कल्लू उर्फ अरविन्दसिंह, उत्तमसिंह, अखिलेश, द्वारिका, हनुमंतसिंह एवं गजराज के संबंध में पूर्व में विचारण किया जाकर दिनांक 05.12.2012 को निर्णय घोषित किया जा चुका है। प्रकरण में सहआरोपीगण मुन्ना, गुड्डू उर्फ रामेन्द्रसिंह तथा आरोपी बीरसिंह फरार है।

03. अभियोजन प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 28.08.2007 को सुबह दो मोटरसाइकिलों से अभियोगी अशोक व उसका भाई जयकुमार व चाचा पूजाराम (जिसकी कि मामले में हत्या हुई है) तथा अमरसिंह व अवधेश त्यागी एवं जयकुमार का साला राजेश त्यागी जो कि ग्राम असवार का रहने वाला है मौ स्थित दंदरौआ सरकार हनुमान जी के दर्शन करने गए थे। लौटते समय एक मोटरसाइकिल पर पूजाराम, जयकुमार तथा राजेश एवं दूसरी मोटरसाइकिल पर अभियोगी अशोकसिंह तथा अमरसिंह तथा अवधेश थे। दोपहर के करीब 12:30- 01:00 बजे थे। उक्त लोग बडेरा गांव के आगे पहुँचे थे। जैसे ही वहाँ पर स्थित नीम के पेड़ के पास पहुँचे रोड के किनारे नीम के पेड़ के नीचे आरोपीगण छविराम, राजाभैया, मैदानसिंह, कल्लू उर्फ अरविन्दसिंह, उत्तमसिंह, अखिलेश, द्वारिका, हनुमंतसिंह एवं गजराज, धीरज, मुन्ना, गुड्डू उर्फ रामेन्द्रसिंह तथा बीरसिंह उर्फ ददू विधि विरुद्ध जमाव बनाकर एकराय होकर खड़े थे, जिसमें आरोपी मैदानसिंह पर माउजर कट्टा, आरोपी कल्लू पर 12 बोर दो नाली बंदूक, धीरज पर लाठी, आरोपी बीरसिंह पर माउजर कट्टा तथा आरोपीगण उत्तम, राजाभैया, छविराम, द्वारिका, हनुमंत, गजराज पर लाठियाँ तथा आरोपी अखिलेश पर

चाकू लिया हुए थे। उक्त लोग एकराय होकर रोड पर आए और उसके चाचा पूजाराम की मोटरसाइकिल को घेरकर आरोपी मैदानसिंह व कल्लू ने अश्लील गालियाँ देकर कहा कि जिन्दा न बच पाए इन्हें खत्म कर दो।

04. आगे अभियोजन प्रकरण इस प्रकार से है कि घटनास्थल पर पहुँचकर उक्त सभी आरोपीगण पूजाराम, जयकुमार, राजेश को मोटरसाइकिल से पटककर लात घूसों से मारपट करने लगे थे। आरोपी मुन्ना ने पूजाराम को कट्टे से गोली मारी थी जो उनकी दाहिनी कनपटी में लगी तथा आरोपी अखिलेश ने पूजाराम की छाती में चाकू मारा तथा आरोपी बीरसिंह ने जयकुमार को माउजर कट्टे से गोली मारी जो उनके बाएँ तरफ पेट में लगी तथा आरोपी छविराम ने उसे सिर में लाठी मारी थी। तथा आरोपी कल्लू, मैदानसिंह ने अपनी बंदूकों से हवाई फायर किए और चिल्लाए कि मर गए साले चलो भाग चलो और उक्त सभी आरोपीगण मंगरोल की तरफ भाग गए थे। उस समय अभियोगी अशोक कुमार तथा उसके साथ रहे मोटरसाइकिल पर अमरसिंह, अवधेश मोटरसाइकिल को छोड़कर पास के खेत की झाड़ियों में छिपकर घटना देख रहे थे। घटना के बाद वे लोग मौके पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पूजाराम की मृत्यु हो गई है तथा जयकुमार गोली लगने से घायल गया था एवं राजेश को भी चोटें लगी थी। मौके पर उसके गांव के और भी लोग आ गए थे। घटना के संबंध सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर आ गई थी। फरियादी अशोक कुमार के द्वारा घटना की देहाती नालसी मौके पर लेखबद्ध कराई गई। मृतक पूजाराम की मृत्यु जाँच बावत् सफीनाफार्म जारी किया गया, लाश पंचायतनामा बनाया गया तथा शव को परीक्षण हेतु भेज गया। घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया तथा मौके से खून आलूदा मिट्टी, माउजर के खोखे तथा घटनास्थल पर रखी मोटरसाइकिल की जप्ती की गई। आहतों को अस्पताल भेजा गया। उक्त देहातीनालसी प्र.पी. 12 के अनुसार पुलिस थाना मौ में अपराध क्रमांक 96/07 पर पंजीबद्ध किया गया। आहत जयकुमार की अस्पताल में मृत्यु हो जाने से उसके संबंध में सफीनाफार्म जारी कर नक्शापंचायतनामा लाश बनाया गया तथा उसके शव का परीक्षण कराया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए एवं आरोपी छविराम, गुड्डू उर्फ रामेन्द्र की गिरफ्तारी कर उनसे लाठियों की जप्ती की थी तथा आरोपी राजाभैया, धीरजसिंह की गिरफ्तारी की गई। बाद विवेचना यह अभियोगपत्र उनके विरुद्ध तथा विवेचना उपरांत अन्य फरार रहे आरोपीगण के विरुद्ध पूरक अभियोगपत्र पेश किए गए जो कि कमिट होने के उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

05. वर्तमान में विचारित किए जा रहे आरोपी धीरज के विरुद्ध धारा प्रथम

दृष्टिया धारा 148, 341, 323, 294, 307, 302/149 भा0दं0वि0 का आरोप पाया जाने से उक्त धाराओं में आरोप लगाकर पढकर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

06. दं.प्र.सं. के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है। बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

07. आरोपी के विरुद्ध विचारित किए जा रहे अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या दिनांक 28.08.07 को पूजाराम और जयकुमार की मृत्यु हुई?
2. क्या मृतक पूजाराम व जयकुमार की मृत्यु सदोष मानव वध की कोटि का होकर हत्यात्मक स्वरूप का है?
3. क्या आरोपी धीरज के द्वारा अन्य सहाआरोपीगण के साथ विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया जिसका सामान्य उद्देश्य मृतक पूजाराम एवं जयकुमार की हत्या करने का था?
4. क्या आरोपी धीरज उक्त विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहा है जिसने कि अन्य सदस्यों के साथ सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए उपरोक्त घटना में भाग लिया?
5. क्या उक्त विधि विरुद्ध जमाव के सदस्यों के द्वारा साशय अथवा जानबूझकर मृतक पूजाराम व जयकुमार की हत्या की गई?
6. क्या उक्त जमाव का सामान्य उद्देश्य अभियोगी पक्ष को रोककर सदोष अवरोध करना रहा था तथा उसे अग्रसर करने में उक्त आरोपीगण ने उन्हें रोककर सदोष अवरोध किया था?
7. क्या उक्त जमाव का सामान्य उद्देश्य राजेश की लाठियों व डंडों से मारपीट कर उपहति कारित करना रहा था जिसे अग्रसर करने में उक्त आरोपीगण ने लाठियों से मारपीट कर उसे स्वेच्छयापूर्वक साधारण उपहति कारित की थी?
8. क्या उक्त जमाव का सामान्य उद्देश्य फरियादी अशोक तथा राजेश की हत्या करना रहा था जिसके अग्रसर करने में उन्होंने साशय या ज्ञान या परिस्थितियों में बंदूक से फायर किया था कि यदि उनकी हत्या हो जाती तो वे हत्या के

दोषी होते?

9. क्या उक्त जमाव के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में उन्होंने बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया था जिसमें वे घातक हथियार से सुसज्जित रहे थे?
10. क्या उक्त आरोपीगण ने सार्वजनिक स्थान पर अश्लील गालियाँ अभियोगी पक्ष को देकर क्षाभ कारित किया?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 व 2 :-

08. डॉ० संजय जैन अ०सा० 3 द्वारा दिनांक 28 अगस्त 2007 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौ में पदस्थ दौरान मृतक जयकुमार तथा मृतक पूजाराम का शव परीक्षण किया गया है। मृतक जयकुमार के शव परीक्षण में एक घाँव बेड ऑफ इन्ट्रेश गोलाकार साइज में जिसका आकार आधा सेन्टीमीटर गुणा आधा से.मी. पेट के बाएँ लेटरल पार्ट पर नाभी से 01 से.मी. ऊपर और 15 से.मी. बाहर की तरफ था जिसके चारो तरफ कालापन था। एक वून्ड ऑफ एक्जिड जो अण्डाकार था जिसका आकार 2 से.मी. गुणा 1 से.मी. पेट के दाहिनी तरफ बाहर की तरफ था जो कि नाभि से 12 से.मी. ऊपर था। एक फटा हुआ घाँव 3 से.मी. गुणा 2 से.मी. गुणा 1 से.मी. खोपड़ी के आगे वाले हिस्से में राइट टेम्पोरल ऐरिया में था। मृतक की पसली, कण्ठ, श्वासनली, फेंफड़े, हृदय हेल्दी एवं पेल थे। मृतक का प्रवेशन घाँव जो कि पेट के बाईं तरफ था मृतक के एक्जिड बून जो कि पेट के दाहिनी तरफ था को कनेक्ट कर रहा था। मृतक का पेट हेल्दी और खाली था, छोटी आँत इन्जोर्ड थी जिसमें कुछ फूड, पार्टिकल गैसे थी, बड़ी आँत इन्जोर्ड थी और उसके अंदर फीकल मेटल और गैसेज थी। यकृत, प्लीहा, गुर्दा हेल्दी और पेल थे, मूत्राशय हेल्दी और बाहरी जननेन्द्रीय स्वस्थ थी। मृतक के कपड़े शील्ड कर संबंधित आरक्षक को दिए थे। अभिमत में उक्त साक्षी के द्वारा बताया गया कि मृतक की मृत्यु का कारण अधिक रक्त स्त्राव जो कि शरीर के आवश्यक अंगों के डेमेज होने से हुआ था। मृतक की मृत्यु परीक्षण के 24 घण्टे के अंदर है। शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 9 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

09. साक्षी डॉ० संजय जैन अ०सा० 3 के द्वारा उक्त दिनांक को मृतक पूजाराम का भी शव परीक्षण किया गया है। मृतक पूजाराम के कुर्ते पर आगे की तरफ बाईं साइड में एक अण्डाकार छेद था जो कि ढाई से.मी. गुणा 1 से.मी. एवं बनियान पर छाती के आगे की तरफ 2 से.मी. गुणा 1 से.मी. का अण्डाकार छेद था। मृतक के बाहरी परीक्षण में एक प्रवेशन घाँव

गोलाकार 1 से.मी. गुणा 1 से.मी. आकार का दाहिनी कनपटी, दाहिने कान के ऊपर वाले हिस्से से 2 से.मी. आगे की था जिसके चारो तरफ कालापन था। निकासी घाँव गोलाकार 2 से.मी. गुणा 2 से.मी. खोपड़ी के वाएं टेम्पोरल रीजन में वाएं कान के ऊपरी हिस्से से 2 से.मी. ऊपर की तरफ था। एक फटा हुआ घाँव 3 से.मी. गुणा 1 से.मी. गुणा 4 से.मी. छाती की वाई तरफ निप्पल के 5 से.मी. ऊपर की तरफ था। **आंतरिक परीक्षण-** मृतक की खोपड़ी का फ्रन्टल वोन व मस्तिष्क का फ्रन्टल वोन क्षतिग्रस्त था। मृतक का प्रवेश घाँव त्वचा सवकूटेनियस टिसू मस्तिष्क का फ्रन्टल वोन और खोपड़ी के फ्रन्टल पार्ट को भेदता हुआ बाहरी निकास घाँव से संबंधित था। मृतक के उदर का पर्दा, आँतों की झिल्ली, मुँह और श्वासनली स्वस्थ थी, मृतक का पेट स्वस्थ और खाली था, छोटी आँत में खाद्य पदार्थ और गैस थी, बड़ी आँत में गैसेज और फीकलमेट था। यकृत, प्लीहा, गुर्दा हेल्दी और पीले थे। मृतक का मूत्राशय और बाहरी जननेन्द्रीयों स्वस्थ थे। मृतक को आई हुई चोट क्रमांक 1 व 2 अग्नेयशस्त्र से पहुँचाई गई तथा चोट क्रमांक 3 किसी नुकीली वस्तु से भोंककर आ सकती है। उक्त मृतक की मृत्यु साक्षी के मतानुसार मृतक के कोमा में जाने जो कि उसके मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने के कारण हुई है। मृतक के मृत्यु परीक्षण के 24 घण्टे के अंदर की थी, मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 10 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

10. उक्त साक्षी के द्वारा दिनांक 28.08.2007 को शाम आहत राजेश की चोटों का परीक्षण किया था जिसे परीक्षण के दौरान एक खरौच का निशान माथे के वाएं तरफ, एक नीलगू घाँव वाई अग्र भुजा पर पीछे की तरफ मध्य भाग में था, वाई कोहनी के ऊपरी हिस्से में पीछे की तरफ मध्य भाग में दर्द आहत के द्वारा बताया गया है। उक्त आहत के संबंध में मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 11 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है।

11. इस प्रकार चिकित्सक डॉक्टर संजय जैन अ0सा0 3 के कथन से भी स्पष्ट है कि मृतक पूजाराम और जयकुमार की उक्त दिनांक को मृत्यु हुई है। उक्त मृतकों की मृत्यु होना अभियोजन साक्षी अशोक कुमार शर्मा अ0सा0 4, अमरसिंह अ0सा0 7 एवं थाना प्रभारी सतीश दुवे अ0सा0 10 जो कि घटना की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुच गये थे जिनके द्वारा सफीनाफार्म जारी किए गए है एवं शव पंचनामा बनाए गए है के कथनों से भी होती है।

12. मृतक पूजाराम एवं जयकुमार की मृत्यु की प्रकृति का जहाँ तक प्रश्न है। इस बिन्दु पर साक्षी अशोक कुमार शर्मा अ0सा0 4 जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में घटना दिनांक को घटना पर मृतकों की बंदूक की गोली, लाठी और चाकू आदि से मारपीट किया जाना बताया है, जिससे कि पूजाराम की मौके पर ही मृत्यु हो

जाना और अन्य घायल जयकुमार की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो जाना बताया है। इस संबंध में उक्त साक्षी के द्वारा किए गए कथन का समर्थन व सम्पुष्टि साक्षी अमरसिंह अ0सा0 7 के कथनों से भी हुआ है। इस बिन्दु पर चिकित्सक डॉक्टर संजय जैन अ0सा0 3 के द्वारा अपने अभिमत में मृतक जयकुमार की मृत्यु का कारण शरीर के आवश्यक अंगों के डेमेज होने से अधिक रक्त स्राव होना बताया है तथा मृतक पूजाराम की मृत्यु का कारण मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने के कारण कोमा में जाने से होना बताया गया है। उक्त मृतक पूजाराम जयकुमार की मृत्यु के पश्चात् उनकी लाश का पंचनामा सतीश दुवे अ0सा0 10 के द्वारा बनाया जाना प्रमाणित किया है जो कि पूजाराम की मृत्यु के संबंध में पंचनामा प्र.पी. 16 एवं जयकुमार की मृत्यु के संबंध में पंचनामा प्र.पी. 17 बनाया गया है। उक्त पंचनामे में भी मृतकों की मृत्यु का कारण गोली लगने से होने के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख आया है। इस प्रकार मृतक पूजाराम और जयकुमार की मृत्यु सदोष मानव वध की कोटि का होकर हत्यात्मक प्रकार का होना प्रमाणित होता है।

बिन्दु क्रमांक 3 लगायत 10:-

13. घटना के संबंध में अभियोजन साक्षी अशोक कुमार शर्मा अ0सा04 जो कि घटना का फरियादी/रिपोर्टकर्ता है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन के मुख्य परीक्षण में आरोपी धीरज को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि घटना दिनांक को वह दंदरौआ हनुमान मंदिर से लौट रहे थे। एक मोटरसाइकिल पर उसका चाचा पूजाराम, जयकुमार और उसका साला राजेश था तथा दूसरी मोटरसाइकिल पर वह, अमरसिंह व अवधेश थे, वे लोग दंदरौआ महाराज के दर्शन कर के वापस लौट रहे थे। जब बड़ेरा गांव के पास रोड पर नीम के पेड़ के पास पहुँचे तो वहाँ पर 13 लोग इकट्ठे खड़े थे जो कि वहीं पर नीम के पेड़ के पास खड़े थे और एकदम इकट्ठे होकर आए, उनकी मोटरसाइकिल थोड़ी पीछे थी और चाचा पूजाराम की मोटरसाइकिल आगे थी। सभी आरोपीगण इकट्ठे होकर के रोड पर आए थे जो कि आरोपीगण कट्टे, लाठी, चाकू आदि हथियार लिए थे। आरोपी धीरज भी उनमें शामिल था और उसके पास लाठी थी। आरोपी मैदानसिंह और कल्लू बोले कि पकड़ों मादरचोदों को जिन्दा न बच पाए। आरोपी मैदानसिंह के पास माउजर बंदूक और कल्लू के पास 12बोर की दुनाली बंदूक थी। सभी आरोपी इकट्ठे होकर लात-घूसों, लाठी इत्यादि हथियारों से पूजाराम, जयकुमार और राजेश की मारपीट करने लगे।

14. उक्त साक्षी के द्वारा आगे यह भी बताया गया है कि आरोपी मुन्ना ने माउजर कट्टे से चाचा पूजाराम को कनपटी पर गोली मार दी थी तथा जयकुमार को भी ददू उर्फ बीरसिंह ने गोली मारी थी जो कि उसके पेट में लगी थी। आरोपी अखिलेश ने पूजाराम को

चाकू छाती में मारा था और आरोपी छविराम ने जयकुमार को सिर में लाठी मारी थी। आरोपी धीरज भी लाठियों से मारपीट कर रहा था। सभी लोग एकराय होकर उक्त घटना कारित कर रहे थे। उक्त घटना में पूजाराम मौके पर ही मृत हो गया था। जयकुमार घायल हो गया था, उसे अस्पताल इलाज के लिए पुलिस वाले ले गए थे, रास्ते में जयकुमार की मृत्यु हो गई थी। घटना कारित कर आरोपीगण मौ की तरफ भाग गए थे। भागते समय आरोपी मैदानसिंह और कल्लू बोल रहे थे कि मादरचोद मर चुके हैं अब चलो। साक्षी के अनुसार घटना के समय वह पूजाराम और जयकुमार के पीछे वाली मोटरसाइकिल में जा रहा था और जब आरोपीगण उक्त घटना कारित कर रहे थे उस समय वह डर के मारे तिली के खेत में छिप गया था और वहाँ से घटना देख रहा था। जब आरोपीगण चले गए तब वह पूजाराम के पास पहुँचा और देखा तो वह खत्म हो गया था और जयकुमार गोली लगने से घायल हो गया था। उसने रास्ते में चलते हुए व्यक्ति से कहा था तो उसने मगरौल चौकी पर सूचना दी थी जिस पर से मौ थाने की पुलिस मौके पर आई थी।

15. साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि पुलिस को उसने मौके पर देहातीनालसी रिपोर्ट लिखाई थी जो कि रिपोर्ट प्र.पी. 12 है जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका भी बनाया था जो प्र.पी. 13 है। सफीनाफार्म प्र.पी. 14 एवं 15 भी बनाया था जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके से खून आलूदा मिट्टी, सादी मिट्टी एवं मृतकों के पास से माउजर का बुलेट जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 18 बनाया था। इसी प्रकार जयकुमार की लाश के पास से भी सादी मिट्टी व खून आलूदा मिट्टी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी. 19 बनाया था एवं पूजाराम की मोटरसाइकिल भी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 20 बनाया था जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

16. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत घटना के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी अमरसिंह अ.सा. 7 के द्वारा आरोपी धीरज को पहचानना स्वीकार कर अपने साक्ष्य कथन में अभियोजन प्रकरण तथा फरियादी अशोक कुमार के कथनों का समर्थन करते हुए बताया है कि घटना दिनांक को दंदरौआ सरकार से दोपहर साढ़े 12 बजे के लगभग मोटरसाइकिल से लौट रहे थे, उसके साथ अशोक एवं अवधेश भी थे, पूजाराम की मोटरसाइकिल आगे थी उसके साथ जयकुमार और जयकुमार का साला राजेश भी था जैसे ही बडेरा गाँव के आगे निकले आरोपीगण सभी एकत्रित हो गए और पूजाराम की मोटरसाइकिल को घेर लिया था। आरोपीगण के साथ वर्तमान में विचारित किया जा रहा आरोपी धीरज भी था और उक्त सभी लोग लाठी, डण्डों से पूजाराम और जयकुमार की मारपीट करने लगे और राजेश को भी मारपीट की थी।

17. साक्षी के द्वारा आगे यह भी बताया गया है कि इसी मारपीट की घटना के

दौरान आरोपी मुन्ना ने पूजाराम की कनपटी पर कट्टा मार दिया और आरोपी अखिलेश ने पूजाराम को चाकू से छाती में बार कर दिया जिससे पूजाराम मौके पर गिर पड़ा था उसके बाद जयकुमार को आरोपी ददू ने माउजर कट्टे से पेट में मारा जो कि गोली लगते ही जयकुमार मौके पर ही गिर गया। आरोपी छविराम ने भी उसके सिर में लाठी मारी जिससे वह मौके पर गिर पड़ा था। घटना को वह 150 फिट की दूरी पर तिली के खेत से देख रहा था। आरोपीगण यह कहकर मौके से चले गए कि यह मर गए है अब चलो, उसके बाद वह मौके पर आए तो देखा कि पूजाराम मौके पर ही मृत हो गया था और जयकुमार बार बार खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गिर पड़ा था और राजेश को भी हाथ में चोटें आई थी। घटना स्थल से एक मोटरसाइकिल वाला निकला तो उससे कहा था कि पुलिस को खबर कर देना। आधा घण्टे बाद पुलिस मौके पर आ गई थी। अशोक के द्वारा घटना की रिपोर्ट लिखाई गई थी। जयकुमार को पुलिस गाड़ी में बिठालकर ले गए थे, अस्पताल में जयकुमार खत्म हो गया था। साक्षी के द्वारा बताया गया है कि मृतक पूजाराम के संबंध में पुलिस ने लिखापट्टी की थी, सफीनाफार्म प्र.पी. 15, लाश पंचायतनामा प्र.पी. 16 बनाया था। उसने पुलिस को पूजाराम की मृत्यु सिर में गोली लगने से होना बताया था। जयकुमार जो कि अस्पताल में खत्म हुआ था उसके संबंध में भी पुलिस ने लिखापट्टी कर सफीनाफार्म प्र.पी. 14 जारी किया था, लाश पंचायतनामा प्र.पी. 17 बनाया था। उसने पुलिस को बताया था कि जयकुमार की गोली लगने से मृत्यु हुई है। साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि पुलिस ने घटनास्थल से मृतक पूजाराम के शव के पास से चली हुई गोली तथा दो खोखे जप्त किए थे और सादी मिट्टी, खून आलूदा मिट्टी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 18 बनाया था और इसी प्रकार जयकुमार के शव के पास से खून आलूदा मिट्टी और सादी मिट्टी और उसकी चप्पल जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 19 बनाया था। घटनास्थल से पूजाराम वाली मोटरसाइकिल जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 20 बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18. अभियोजन साक्षी सतीश दुबे अ0सा010 जो कि दिनांक 28-7-07 को थाना प्रभारी के पद पर थाना मौ में पदस्थ होना और घटना की सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंचना और घटनास्थल पर देहाती नालिसी रिपोर्ट अशोक त्यागी के बताये अनुसार लेखबद्ध की थी जो कि देहाती नालिसी रिपोर्ट प्र0पी0 11 है जिस पर बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसके अतिरिक्त मौके पर मृतक पूजाराम के संबंध में पंचनामा प्र0पी0 16 बनाना जिसमें कि पूजाराम की कनपटी पर गोली लगने से उसकी मृत्यु होने का उल्लेख है। सफीना फार्म प्र0पी0 15 जारी किया गया है जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। इसके अतिरिक्त घटनास्थल का नक्शा मौका प्र0पी0 13 अशोक त्यागी की निशादेही पर बनाना तथा घटनास्थल से

पूजाराम त्यागी के पास से खून आलुदा मिट्टी तथा सादा मिट्टी जप्त करना तथा एक जोड़ी चप्पल तथा एक चश्मा जो मृतक का और काले रंग का झोला तथा एक माउजर का बुलेट तथा तीन माउजर के खोके जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0 18 बनाया जाना बताया है।

19. विवेचना अधिकारी के द्वारा आगे यह भी बताया गया है कि मृतक जयकुमार जहां घायल होकर गिरा था जिसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया था वहां की भी खून आलुदा व सादा मिट्टी जप्त की थी और मौके पर पड़ी हुयी चप्पल जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0 19 का बनाया था। इसके अतिरिक्त जयकुमार जो कि मौ अस्पताल में मृत हो गया था उसके संबंध में भी सफीना फार्म प्र0पी0 14 का जारी किया गया था और लाश का नक्शा पंचायतनामा बनाया था जो कि उसके पेट में बांयी तरफ गोली लगने से उसकी मृत्यु होना पायी गयी थी जो कि नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0 17 जिस पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। इसके अतिरिक्त मृतक जयकुमार और पूजाराम के संबंध में पी0एम0 कराने वाबत् आवेदनपत्र भरकर पी0एम0 कराया था। देहाती नालिसी रिपोर्ट प्र0पी0 12 है उसकी कायमी हेतु आरक्षक के हाथो थाना मौ भेजा था। उनके द्वारा फरियादी अशोक के कथन और साक्षी अमरसिंह, अवधेश और राजेश के कथन भी लेखबद्ध किये गये थे। घटनास्थल पर पड़ी हुयी मोटरसायकिल डिस्कवर एम0पी032 एम0ए01130 को जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0 30 बनाया था।

20. घटना के प्रथम सूचना रिपोर्ट जो कि देहाती नालिसी प्र.पी. 21 में लिखी हुयी थी आरक्षक राजेन्द्र शर्मा के द्वारा लाकर थाना मौ में पेश करना और उसकी कायमी प्रधान आरक्षक भोलासिंह अ0सा09 के द्वारा करना बताया गया है जो कि असल कायमी अप0कं0 96/07 प्र0पी022 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। मार्ग की कायमी प्र0डी02 तैयार करना बताया है। साक्षी उमेश बाबू अ0सा05 मृतक के सीलबंद कपडों की पोटली लाकर थाने में पेश करना एवं उनकी जप्ती प्र0पी0 20 के अनुसार किया जाना बताया है।

21. प्रकरण के अन्य विवेचना अधिकारी धर्मवीरसिंह भदौरिया अ0सा011 ने दिनांक 11-7-07 को आरोपी धीरज को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0 8 तैयार करना तथा उसके पेश करने पर एक बांस की लाठी जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0 6 का बनाया जाना जिसके सी से सी भाग पर अपनी हस्ताक्षर होना बताया है। इस संबंध में आरोपी धीरज की गिरफ्तारी एवं उससे बांस की लाठी की जप्त होने का समर्थन अभियोजन साक्षी दिनेश अ0सा02 एवं भूपसिंह अ0सा06 के द्वारा भी किया गया है जो कि गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0 8 एवं जप्ती पत्रक प्र0पी0 6 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है।

22. राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र0सी01 के अनुसार परीक्षण हेतु प्राप्त जप्त सुदा ई0सी01 से ई0सी03 के चले हुये खोके 315 बोर के कारतूस के खोके हैं जो कि 315 बोर के केलिवर के लूज चेम्बर वाले व्यपम जैसे की देशी निर्मित पिस्तोल फायर किया गया था। प्र0ई0बी01 चली हुयी 315 बोर की कारतूस की बुलेट जो कि 315 बोर के स्मूथ केलिवर व्यपन जैसे देशी निर्मित पिस्तोल से फायर किया गया। इसके अतिरिक्त प्र0सी01, बनियान प्र0सी02 पर उपस्थित गन पाउडर मार्क से घिरे हुये एच01 अंकित छिद्र गन शॉट का है जो कि कॉपर जेकेटिक बुलेट जैसे कि प्र0ई0बी01 के लगने से बना है। इस संबंध में राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्र0सी02 के अनुसार वायलोजिकल परीक्षण में घटनास्थल जहां कि पूजाराम का शव पड़ा था से जप्त खून आलुदा मिट्टी प्र0ए एवं घटना स्थल से पूजाराम के जप्त एक जोड़ चप्पल प्र0सी0, मृतक जयकुमार के पड़े हुये स्थान से खून आलुदा मिट्टी एच, एक जोड़ चप्पल जे, शर्ट के1, बनियान के2, पजामा के3, अण्डरवियर के4, अंगीछा के5 तथा पूजाराम का कुर्ता एन1, धोती एन2, बनियान एन3 में मानव रक्त होना पाया गया था जो कि जयकुमार के कपड़ों में बी ग्रुप का तथा पूजाराम के कपड़ों में ए बी ग्रुप का ब्लड ग्रुप होना पाया था।

23. बचाव में आरोपी धीरज की ओर से उसे निर्दोष होना बताते हुये उसके विरुद्ध साक्षियों के द्वारा रंजिशन झूठा कथन करना अभिकथित किया है। उसके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि उसके भाई मुकेश की हत्या घटना के पूर्व कर दी गई थी। इसी दौरान किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उपरोक्त घटना कर दी गई जिसमें कि उक्त रंजिश के कारण उसे झूठा लिप्त कर दिया गया है।

24. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य पर विचार किया जाना एवं साक्षियों के प्रतिपरीक्षण उपरान्त उनके साक्ष्य का मूल्य और उनकी विश्वसनीयता और इस संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता पर भी विचार किया जाना उचित होगा।

25. सर्वप्रथम घटना के फरियादी/रिपोर्टकर्ता अशोक कुमार शर्मा अ0सा04 के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरान्त जहां तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के द्वारा एक मोटरसायकिल उसके द्वारा चलायी जाना और दूसरी मोटरसायकिल पूजाराम के द्वारा चलाया जाना बताया है। जहां तक कि पूजाराम और जयकुमार के द्वारा आरोपीगण के द्वारा घेरा गया था वहां से करीब 100-150 कदम की दूरी पर रहना बताया है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह तिली के खेत में छिप गया था इस कारण उसे दिखायी नहीं दे रहा था। साक्षी ने इस सुझाव से भी दृढतापूर्वक इन्कार किया है कि आरोपी धीरज से पूर्व की रंजिश होने के कारण उसे झूठा फसाने के लिये झूठा बयान दे रहा है और इस सुझाव से भी

इन्कार किया है कि घटना के समय आरोपी धीरज मौके पर नहीं था। साक्षी के द्वारा आरोपी धीरज की न्यायालय में स्पष्ट रूप से पहचान की गयी है।

26. साक्षी अशोक कुमार शर्मा अ0सा04 के प्रतिपरीक्षण उपरान्त उनके कथनों में कोई भी तात्त्विक या गम्भीर प्रकार का विरोधाभास या लोप होना दर्शित नहीं होता जिससे कि साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। सूक्ष्म प्रकार के विरोधाभास एवं विसंगतियाँ जो कि साक्ष्य देने के दौरान स्वभाविक रूप से आ सकती हैं उनके अतिरिक्त कोई भी गंभीर या तात्त्विक विरोधाभास, विसंगति या लोप साक्षी के कथनों के दौरान नहीं आई है। साक्षी के द्वारा आरोपी धीरज की स्पष्ट रूप से पहचान की गई है और घटना के समय अन्य सहआरोपीगण के साथ घटनास्थल पर उसकी मौजूदगी और घटना के समय उसके पास भी लाठी होना और उसके द्वारा भी घटा में भाग लेने के तथ्य को स्पष्ट रूप से बताया है। जिस बिन्दु पर प्रतिपरीक्षण उपरान्त साक्षी का कथन पूर्णतः अखण्डनीय रहा है। उक्त साक्षी के द्वारा आरोपी धीरज को रंजिशन घटना में झूठा लिप्त किया जा रहा हो अथवा किसी रंजिश के कारण अथवा पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई कथन किये जा रहे हों ऐसा भी मानने का कोई आधार नहीं है।

27. यह भी उल्लेखनीय है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज देहातीनालसी रिपोर्ट प्र.पी. 12 जो कि घटना के तुरन्त पश्चात् घटनास्थल पर ही उक्त साक्षी अशोक शर्मा अ0सा0 4 के द्वारा दर्ज कराई गई है। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से वर्तमान विचारित किये जा रहे आरोपी धीरज की अन्य सहआरोपीगण के साथ मौजूद होने जो कि लाठी लेकर घटनास्थल पर मौजूद होने और घटना में भाग लेने के संबंध में उल्लेख आया है। उक्त देहातीनालसी रिपोर्ट लेखबद्ध करना सतीश दुवे अ0सा0 10 के द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार घटना की रिपोर्ट घटना के तुरन्त पश्चात् बिना किसी विलम्ब के नामजद रूप से दर्ज कराई गई है जो कि अभियोजन प्रकरण का सकारात्मक पक्ष है। अभियोजन साक्षी अशोक शर्मा की घटनास्थल पर मौजूदगी और उसका घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना भी उक्त आधार पर सम्पुष्ट होता है।

28. अभियोजन साक्षी अशोक शर्मा अ0सा0 4 के कथन की सम्पुष्टि अन्य अभियोजन साक्षी अमरसिंह अ0सा0 7 के साक्ष्य कथन से भी होती है। उक्त साक्षी ने आरोपी धीरज को पहचानना स्वीकार करते हुए, घटनास्थल पर सभी आरोपीगण के हथियारों सहित मौजूद होने जिसमें कि वर्तमान विचारित किया जा रहा आरोपी धीरज के घटना में शामिल होने के संबंध में बताया है। साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि उक्त आरोपीगण के द्वारा कारित घटना जिसमें कि आरोपी धीरज भी शामिल था मृतक पूजाराम और जयकुमार की

मृत्यु हुई थी। साक्षी अमरसिंह के साक्ष्य कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, उक्त साक्षी अशोक के साथ मोटरसाइकिल पर होना और दूसरी मोटरसाइकिल पर पूजाराम, जयकुमार और जयकुमार का साला राजेश होना बताया है। पूजाराम वाली मोटरसाइकिल को आरोपीगण के द्वारा रोक लेने और उनकी मोटरसाइकिल करीब डेढ़ सौ कदम पीछे होना बताया है। प्रतिपरीक्षण कंडिका 51 में आरोपी धीरज के झाड़ियों से निकलने एवं धीरज के पास लाठी होना बताया है तथा लाठी से पूजाराम की मारपीट करना बताया है। साक्षी ने इस सुझाव को दृढ़ता पूर्वक इन्कार किया है कि धीरज घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था और इस सुझाव से इन्कार किया है कि आरोपी धीरज के संबंध में रंजिश के कारण असत्य कथन कर रहा है।

29. इस प्रकार साक्षी अमरसिंह अ0सा0 7 के साक्ष्य कथन के आधार पर घटनास्थल के पास घटना के समय उसके मौजूद होने और घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होने में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत सूक्ष्म प्रकार की विसंगति एवं विरोधाभास को छोड़कर उसके साक्ष्य कथन में कोई भी तात्त्विक प्रकार का विरोधाभास, विसंगति अथवा लोप आना दर्शित नहीं होता है जिससे कि साक्षी की विश्वसनीयता प्रभावित होती हो। साक्षी के द्वारा फरियादी पक्ष से हितबद्ध होकर अथवा आरोपी धीरज से किसी रंजिश के कारण उसे झूठा लिप्त करने हेतु उसके विरुद्ध कोई कथन किए जा रहे हो ऐसा भी मानने का कोई आधार या कारण परिलक्षित नहीं होता है।

30. जहाँ तक अभियोजन के द्वारा प्रकरण के संबंध में घटना के आहत साक्षी राजेश का कथन न कराए जाने का प्रश्न है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान विचारित किए जा रहे आरोपी धीरज के संबंध में विचारण के दौरान साक्षी राजेश साक्ष्य हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। उक्त साक्षी राजेश जिसका कि पूर्व में उपस्थित अन्य आरोपीगण के संबंध में परीक्षण किया गया था, उक्त साक्षी पक्षद्रोही रहा है। साक्षी राजेश का साक्षी के रूप में कथन न कराना जबकि घटना के संबंध में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक एवं चक्षुदर्शी साक्षी अशोक कुमार अ0सा0 4 तथा अमरसिंह अ0सा0 7 के कथन मौजूद है, मात्र इस आधार पर कि साक्षी राजेश किन्हीं कारणों से न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु उपस्थित नहीं हुआ है, यह सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है।

31. घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद बताए गए अन्य चक्षुदर्शी साक्षी अवधेश के साक्ष्य कथन न कराए जाने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यह स्पष्ट है कि उक्त साक्षी अवधेश कथन देने की स्थिति में न होने के संबंध में चिकित्सक के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त

हो चुका है, जिसमें कि उसे लो-आईक्यू का होने के कारण प्रश्नों को समझने एवं उनका जबाव देने में असमर्थ होना बताया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि साक्षी अवधेश जो कि घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद होना बताया गया है के कथन नहीं कराए गए हैं तो मात्र उसका कथन न कराए जाना सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण के लिए घातक नहीं माना जा सकता है।

32. अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि चिकित्सक डॉक्टर संजय जैन अ0सा0 3 के कथन के आधार पर भी होती है, जिनके द्वारा मृतक जयकुमार एवं पूजाराम का शव परीक्षण किया गया है, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से मृतक जयकुमार को अग्नेयशस्त्र की चोटें होना पाई गई और उसकी मृत्यु अधिक रक्त स्राव जो कि शरीर के आवश्यक अंगों के डेमेज होने से होनी बताई है। इसी प्रकार मृतक पूजाराम को अग्नेयशस्त्र की चोटें पाई थी तथा उसके टेम्पोरल ऐरिया में भी नुकीली वस्तु की चोट पाई गई थी और उसकी मृत्यु कोमा में जाने से होना बताया है। उक्त दोनों मृतकों की मृत्यु की अवधि 24 घण्टे के भीतर की होनी उकने द्वारा बताई जा रही है। उक्त चिकित्सीय साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उनके कथनों में कोई भी विपरीत तथ्य नहीं आया है। साक्षी के कथनों से भी मृतकों की मृत्यु के समय और मृत्यु के कारण की पुष्टि होती है जो कि चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों से मेल खाती है। इस प्रकार चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर भी अभियोजन प्रकरण की उपरोक्त संबंध में सम्पुष्टि होती है।

33. अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श सी1 एवं प्रदर्श सी2 के आधार पर भी होती है। प्रदर्श सी1 की रिपोर्ट में घटनास्थल से जप्त प्रदर्श ई.सी.1 से ई.सी.3 तक के तीन चले हुए 315 कैलीबर कारतूस के खोखे के परीक्षण में इन्हें एक ही 315 बोर के लूज चेम्बर वाले व्यपन जैसा कि देशी निर्मित पिस्तौल से फायर किया ना अभिमत में दिया गया है। ई.बी.1 चले हुए 315 बोर के कारतूस की बुलेट स्मूथवोर व्यपन जैसा कि देशी निर्मित पिस्तौल से फायर किया जाना अभिमत में बताया गया है। कुर्ता प्रदर्श सी.1 और वनियान प्रदर्श सी2 में गन पाउडर मार्क्स पाया गया है जो कि एच.1 गनशॉट जो कॉपर जैकेटेड बुलेट ई.बी.1 लगने से बना होना अभिमत में बताया गया है। रिपोर्ट प्रदर्श सी.2 के अनुसार घटनास्थल से जप्त खून आलूदा मिट्टी व मृतकों के कपड़ों में मानव रक्त होना पाया गया है।

34. मृतक जयकुमार और पूजाराम की हत्या कारित करने के आशय अथवा ज्ञान का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में पूर्ववर्ती विवेचना से स्पष्ट है कि मृतक पूजाराम एवं जयकुमार की मृत्यु उन्हें गोलियाँ लगने एवं धारदार वस्तु से चोट पहुँचाई जाने से हुई है।

उक्त दोनों मृतकों को जो चोटें पहुँचाई गई है वह प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है और उसी कारण ही उनकी मृत्यु हुई है जो कि चिकित्सीय साक्ष्य से भी सम्पुष्ट है। इस प्रकार प्रकरण में आई हुई समग्र साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि वर्तमान आरोपी धीरज जो कि अन्य सहआरोपीगण के साथ घटनास्थल पर उपस्थित था और इस दौरान उनके द्वारा फरियादी व अन्य का रास्ता रोककर घटना की गई जो कि उनका आशय मृतक पूजाराम और जयकुमार की हत्या कारित करने का था।

35. दांडिक मामलों में किसी तथ्य को सावित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होती है। इस संबंध में धारा 134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत भी यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी तथ्य को सावित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी। निश्चित रूप से साक्षियों की मात्रा पर नहीं अपितु उसकी गुणवत्ता देखी जानी चाहिए। जैसा कि इस संबंध में **जोसेफ वि० स्टेट ऑफ केरल (2003)1 एस.सी.सी. 465, लालू माझी वि० स्टेट ऑफ झारखण्ड 2003(2) एस.सी.सी. 401** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि किसी तथ्य को स्थापित करने के लिए साक्षियों की कोई संख्या अपेक्षित नहीं है, यदि एक मात्र साक्षी की साक्ष्य पूरी तरफ विश्वास योग्य पाई जाती है तो उस पर दोषसिद्ध स्थिर रखी जा सकती है। निश्चित रूप से वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण अशोक कुमार अ०सा० 4 और अमरसिंह अ०सा० 7 जो कि घटना के चक्षुदर्शी साक्षी है उनके कथन प्रतिपरीक्षण उपरांत पूरी तरफ विश्वास योग्य होने पाए गए हैं।

36. बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क के दौरान बचाव में अभियोजन प्रकरण को संदिग्ध मामले के संबंध में जो आधार लिये गए हैं—

1. अभियोजन साक्षी हितबद्ध साक्षी है जो कि मृतक के रिस्तेदार होकर उसके संबंधी है।
2. स्वतंत्र साक्षियों के कथन अभियोजन के द्वारा नहीं कराए गए हैं।
3. साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विरोधाभास, विसंगति व लोप आया है।
4. घटना की देहातीनालसी रिपोर्ट संदिग्ध होकर बाद में सोच समझकर लिखी गई है जो कि धारा 174 दं.प्र.सं. की मर्ग रिपोर्ट की पुष्टि नहीं करती है।
5. घटनास्थल के नक्शामौका में वस्तुस्थिति स्पष्ट न होने से संदेहास्पद है।
6. आरोपी एवं फरियादी के मध्य पूर्व रंजिश।

7. आयुधों की जप्ती की कार्यवाही समुचित रूप से नहीं है तथा विवेचना में कमी छोड़ी गई है।

37. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया प्रथम आधार कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी मृतक के रिस्तेदार है इस कारण उक्त साक्षीगण हितबद्ध साक्षी है। हितबद्ध साक्षियों के कथन पर विश्वास करते हुए आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है। इस संबंध में यद्यपि यह सत्य है कि अभियोजन साक्षी अशोक कुमार अ0सा0 4 अमरसिंह अ0सा0 7 आपस में रिस्तेदार है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षीगण मृतक के रिस्तेदार है उनके साक्ष्य को हितबद्ध मानते हुए उन्हें अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। जैसा कि इस बिन्दु पर दिलीपसिंह वि0 स्टेट ऑफ पंजाब ए.आई.आर. 1953 एस.सी. 354 एवं स्वर्णसिंह वि0 स्टेट ऑफ पंजाब (1976)4 एस.सी.सी. 369 एवं मानो वि0 स्टेट ऑफ तमिलनाडू 2007 सी.आर.एल.जे. 2736 एस.सी. एवं बीरेन्द्र पोद्दार वि0 स्टेट ऑफ विहार ए.आई.आर. 2011 एस.सी. 233 उल्लेखनीय है जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मात्र निकट संबंधी होने के आधार पर साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई आधार नहीं माना जा सकता है, जबतक कि यह विचार करने का कोई कारण या आधार न हो कि ऐसे आरोपी को साक्षी मिथ्या फसाने में रूचि रखते हों और आरोपी को झूठा लिप्त किये जाने के संबंध में कोई उचित नींव रखी जानी आवश्यक है। यद्यपि ऐसे गवाह की साक्ष्य पर सावधानी से छानवीन करने की आवश्यकता बताई गई है।

38. वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में कहीं भी ऐसा परिलक्षित नहीं होता है कि वर्तमान आरोपी धीरज को हत्या के संबंध में प्रकरण में झूठा फसाया जा रहा है अथवा किसी रंजिश के कारण उसे लिप्त किया जा रहा हो। अभियोजन साक्षी अशोक कुमार शर्मा अ0सा0 4 तथा अमरसिंह अ0सा0 7 के सम्पूर्ण साक्ष्य उपरांत उक्त साक्षीगण के द्वारा मात्र मृतक पक्ष से हितबद्ध होकर अथवा आरोपीगण से रंजिशवस उन्हें झूठा लिप्त किये जाने का कोई भी आधार या कारण परिलक्षित नहीं होता है। ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि उक्त साक्षीगण मृतक पूजाराम और जयकुमार से उक्त साक्षी संबंधी है उनके कथन को अविश्वसनीय मानने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इस संबंध में स्टेट ऑफ यू.पी. वि0 सुबोधनाथ (2009)6 एस.सी.सी. 600 में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह सामान्य मानवीय स्वभाव है कि रिस्तेदार साक्षीगण उनके रिस्तेदार की हत्या के मामले में किसी अन्य व्यक्ति को नहीं फसाएंगे और यह चाहेगे कि असली अपराधी दंडित हो। ऐसी दशा में आरोपी धीरज को मात्र मृतक के रिस्तेदार होने के आधार पर

साक्षीगण के द्वारा झूठा लिप्त किया जा रहा हो और उसके विरुद्ध कथन किये जा रहे हो ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है एवं न ही उक्त आधार सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद मानने का कोई आधार है।

39. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया अन्य आधार कि घटना आम सड़क पर घटित हुई है जहाँ से कि कई लोग आते जाते रहते हैं। ऐसी दशा में घटना के संबंध में स्वतंत्र साक्षी भी हो सकते थे, किन्तु अभियोजन के द्वारा किसी भी स्वतंत्र साक्षी के साक्ष्य कथन नहीं कराए गए हैं।

40. इस संबंध में यद्यपि यह सत्य है कि घटनास्थल सड़क होना बताया गया है, किन्तु घटना के समय घटनास्थल पर कोई स्वतंत्र साक्षी मौजूद हो ऐसा कहीं भी नहीं आया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान सामाजिक परिवेश में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकरण में साक्षी बनने में कई कारणों से कोई रुचि नहीं रखता है और कई बार उसे जानकारी होने पर भी वह साक्ष्य हेतु आगे नहीं आना चाहता है। ऐसी दशा में यदि घटना के संबंध में किसी स्वतंत्र साक्षी के कथन नहीं हुए हैं तो इस आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण संदिग्ध मानने का यह आधार नहीं हो सकता है।

41. घटना के चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों में विरोधाभास एवं बिसंगति का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यद्यपि अभियोजन साक्षियों के कथनों में कतिपय विरोधाभास एवं बिसंगति आई है, किन्तु उक्त वर्णित साक्षी अशोक कुमार अ0सा0 4 व अमरसिंह अ0सा0 7 घटना के समय मौके पर उपस्थित थे यह साक्ष्य से प्रमाणित है। साक्षियों के प्रतिपरीक्षण के दौरान जो कि उनका चातुर्यपूर्ण प्रतिपरीक्षण किया गया है इस दौरान कतिपय विरोधाभास, बिसंगति अथवा लोप व आधिक्य आना संभव है। मात्र इस आधार पर साक्षियों के कथनों में कतिपय विरोधाभास एवं बिसंगति आई है सम्पूर्ण कथन अविश्वसनीय मानने अथवा उसे दरकिनार करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा **शिवप्पा बगैरह वि0 स्टेट ऑफ कर्नाटक 2008 सी.आर.एल.जे. 2992, मेहरवान वि0 स्टेट ऑफ एम.पी. ए.आई.आर 1997 एस.सी. 1528** में यह अवधारित किया गया है कि साक्षियों के कथनों में कतिपय विरोधाभास, बिसंगति, आधिक्य के आधार पर उनके सम्पूर्ण साक्ष्य कथन दरकिनार करने का कोई आधार नहीं हो सकता है। साक्षियों की सामाजिक पृष्ठभूमि घटना घटित होने के उपरांत से साक्ष्य होने तक के दिनांक के बीच के अंतराल को देखते हुए इस प्रकार की बिसंगति व विरोधाभास आना स्वभाविक है।

42. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के दौरान मुख्य रूप से यह भी आधार लिया गया है कि प्रकरण में धारा 174 दं.प्र.सं. के तहत मर्ग की कायमी की गई है। उक्त मर्ग सूचना में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि मृतक जयकुमार और पूजाराम की मोटरसाइकिल के अलावा दूसरी मोटरसाइकिल मौके पर थी जिसमें कि चक्षुदर्शी साक्षी अशोक कुमार व अमरसिंह थे। देहातीनालसी रिपोर्ट बाद में सोच समझकर लिखी गई है।

43. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। प्रकरण में देहातीनालसी रिपोर्ट प्रदर्श पी-12 तत्कालीन थाना प्रभारी सतीश दुवे अ0सा0 10 के द्वारा लेखबद्ध की गई है। प्र.पी. 12 की देहातीनालसी रिपोर्ट दिनांक 28.08.2007 को 01:50 बजे मौके पर लेखबद्ध की गई है, जैसा कि इस संबंध में रिपोर्ट लेखक सतीश दुवे अ0सा0 10 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में बताया है और उक्त रिपोर्ट अशोक कुमार अ0सा0 4 के बताए अनुसार लेखबद्ध की गई है। अशोक कुमार अ0सा0 4 ने मौके पर उक्त रिपोर्ट लिखवाना बताया है। साक्षी सतीश दुवे अ0सा0 10 के प्रतिपरीक्षण उपरांत इस संबंध में उनके द्वारा की गई कार्यवाही पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। इस संबंध में यद्यपि प्रदर्श डी 2 की मर्ग सूचना रिपोर्ट जो कि अंतर्गत धारा 174 दं.प्र.सं. की दिनांक 28.08.2007 को 02:30 बजे लेखबद्ध की गई है। इस प्रकार देहातीनालसी रिपोर्ट पहले लिखी गई है और मर्ग सूचना बाद में लेखबद्ध की है। मर्ग सूचना रिपोर्ट में घटना के समय विस्तृत रूप से कोई भी विवरण उल्लेखित न होकर केवल सूक्ष्म विवरण लेखबद्ध है। निश्चित तौर से मर्ग सूचना लेखबद्ध करते समय इस बात की अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि उसमें सम्पूर्ण घटना का विस्तृत विवरण लिखा जाए। ऐसी दशा में मर्ग सूचना में यदि घटना का विस्तृत विवरण नहीं लिखा गया है तो मात्र इस आधार पर घटनास्थल पर चक्षुदर्शी साक्षियों की मौजूदगी संदिग्ध नहीं मानी जा सकती है।

44. बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क में यह भी आधार लिया गया है कि घटनास्थल के नक्शामौका में मृतक जयकुमार की हत्या होने का स्थान न दिखाया जाना बताते हुए यह व्यक्त किया कि मृतक जयकुमार का शव घटनास्थल पर न मिलकर किसी अन्य स्थान पर मिला था।

45. उपरोक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि देहातीनालसी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख आया है कि जयकुमार गोली लगने से घायल हो गया था। इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक एवं विवेचना अधिकारी सतीश दुवे अ0सा0 10 के द्वारा भी अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि जयकुमार घायल होकर गिरा था जिसे कि उपचार हेतु अस्पताल भेजा था।

जिस स्थान पर वह गिरा था उस स्थान से खून आलूदा मिट्टी व सादी मिट्टी व मौके पर पड़ी हुई चप्पलें जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 19 बनाया था। जयकुमार की अस्पताल में मृत्यु हुई थी और अस्पताल में ही उन्होंने जयकुमार के संबंध में सफीनाफार्म जारी किया था और नक्शा पंचायतनामा बनाया था। उक्त तथ्य की पुष्टि अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत घटना के चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर भी होती है। ऐसी दशा में मात्र इस आधार पर कि नक्शामौका प्र.पी. 13 में विवेचना अधिकारी के द्वारा उस स्थान को नहीं दर्शाया गया है जिस स्थान पर जयकुमार घायल पड़ा होना बताया गया है, इस आधार पर अभियोजन प्रकरण की विश्वसनीयता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

46. बचाव पक्ष के द्वारा अपने तर्क में यह आधार लिया गया है कि वर्तमान घटना के पूर्व आरोपी धीरज के भाई मुकेश की हत्या हुई थी जिसमें कि आरोपी जयकुमार और पूजाराम आरोपी के रूप में थे और इसी रंजिश के कारण फरियादी पक्ष के द्वारा आरोपी धीरज को प्रकरण में झूठा लिप्त किया गया है। इस बिन्दु पर यद्यपि यह सत्य है कि वर्तमान घटन के पहले मुकेश की हत्या हुई थी जो कि आरोपी धीरज का छोटा भाई है। जैसा कि इस संबंध में अभियोजन साक्षी अमरसिंह के द्वारा भी अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त तथ्य को स्वीकार किया गया है, किन्तु प्रकरण में बचाव पक्ष के द्वारा कोई भी ऐसा प्रमाण या साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे कि इस बात की पुष्टि होती हो कि मुकेश की हत्या के मामले में पूजाराम और जयकुमार आरोपी है। ऐसी दशा में बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया यह आधार कि आरोपीगण को रंजिश के कारण प्रकरण में झूठा फंसाया गया है यह मान्य किये जाने का कोई आधार नहीं है।

47. बचाव पक्ष के द्वारा लिया गया अन्य आधार कि घटना में प्रयुक्त बताया जा रहे हथियारों की कोई पहचान नहीं कराई गई है और इस संबंध में संबंधित पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक से हथियार दिखाकर कोई प्रश्न भी नहीं पूछे गए हैं। ऐसी स्थिति में मृतकों को आई हुई चोटें इसी हथियार से पहुंचाई गई है यह प्रमाणित नहीं है।

48. उपरोक्त संबंध में यद्यपि यह सत्य है कि घटना में प्रयुक्त किए गए हथियारों की जप्ती व पहचान का तथ्य समुचित रूप से प्रमाणित नहीं है। चिकित्सक जिसके द्वारा मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया है कि उसको हथियार दिखाकर प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, परन्तु वर्तमान प्रकरण जो कि मुख्य रूप से चक्षुदर्शी साक्षियों के साक्ष्य पर आधारित है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं साक्षियों के कथनों में आरोपीगण के पास कौन कौन से हथियार एवं किस प्रकार का हथियार था यह स्पष्ट रूप से आया है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि चिकित्सक को हथियार दिखाकर उससे चोटें आने के संबंध में नहीं पूछा गया है तो इस आधार पर सम्पूर्ण

अभियोजन प्रकरण संदिग्ध होना नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में **ए.आई.आर. 2008 एस.सी. मेहमूद बगैरह वि० स्टेट ऑफ यू.पी.** जिसमें अवधारित किया गया है कि मेडीकल ऑफीसर वेलिस्टिक विशेषज्ञ नहीं हो सकता है और वह घटना में प्रयुक्त होने वाले अग्नेयशस्त्र के बारे में कोई अभिमत नहीं दे सकता है।

49. बचाव पक्ष के द्वारा यह आधार भी लिया गया है कि विवेचना अधिकारी सतीश दुवे अ०सा० 10 के द्वारा की गई विवेचना में कमियाँ छोड़ी गई हैं। जिस परिप्रेक्ष्य में विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई विवेचना की कार्यवाही संदिग्ध है। विवेचना अधिकारी को घटना की सूचना मिलने एवं उसके मौके पर पहुँचने की स्थिति में भी साक्ष्य परस्पर विरोधाभासी है।

50. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। वर्तमान घटना की सूचना मिलने के पश्चात् थाना प्रभारी सतीश दुवे अ०सा० 10 मौके पर आए थे एवं उनके द्वारा मौके पर ही देहातीनालसी रिपोर्ट प्र.पी. 12 की लिखी गई थी जो कि साक्षी अशोक कुमार के भी लिखा जाना प्रमाणित किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण जो कि चक्षुदर्शी साक्षियों के कथनों पर आधारित है। साक्षी अशोक कुमार के कथन उसी दिन लेखबद्ध किए गए हैं और प्रकरण का अनुसंधान भी उसी दिन प्रारंभ हो चुका है। विवेचना अधिकारी के द्वारा विवेचना में छोड़ी गई कमी का जहाँ तक प्रश्न है। यद्यपि विवेचना अधिकारी के द्वारा विवेचना के दौरान कतिपय तथ्यों के संबंध में स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सका है और विवेचना में कुछ कमी छोड़ी गई है। किन्तु मात्र इस आधार पर कि विवेचना अधिकारी के द्वारा विवेचना में कोई कमी रखी गई है वह सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद मानते हुए आरोपी को दोषमुक्त करने का आधार नहीं हो सकता है। जैसा कि इस बिन्दु पर **1995(5) एस.सी.सी. 518 करनेलसिंह वि० स्टेट ऑफ एम.पी. एवं (1999) 2 एस.सी.सी. 126 पारस यादव वि० स्टेट ऑफ बिहार** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अवधारित किया गया है कि यदि अनुसंधान अधिकारी के द्वारा विवेचना में कुछ लोप या कमी की गई है तो मात्र यह सम्पूर्ण अभियोजन प्रकरण को संदेहास्पद मानने का आधार नहीं हो सकता है।

51. आरोपी धीरज पर धारा 294 भा०दं०वि० के अंतर्गत इस आशय का भी आरोप है कि घटना दिनांक को घटना समय स्थान फरियादी व अन्य को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया। इस बिन्दु पर कि घटना दिनांक को वर्तमान आरोपी धीरज के द्वारा कोई गाली गलोज की गई हो या कोई अश्लील शब्द उच्चारित किया गया हो ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है, जिससे कि घटना दिनांक को घटना समय सार्वनिक स्थान या उसके निकट फरियादी एवं अन्य को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किए जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है।

52. घटना दिनांक को घटना समय स्थान पर आरोपी धीरज एवं अन्य मौजूद बताए गए सहआरोपीगण के द्वारा फरियादी अशोक कुमार व राजेश की हत्या के प्रयास के संबंध में अभिलेख में कोई साक्ष्य नहीं आई है। ऐसी दशा में अशोक कुमार व राजेश की हत्या के प्रयत्न के संबंध में वर्तमान आरोपी के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती है।

53. उपरोक्त घटना में आहत राजेश को आई हुई उपहति का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि स्वयं आहत राजेश के द्वारा घटना में उसे चोटें पहुँचने एवं घटनास्थल पर आरोपीगण की मौजूदगी जिसमें कि वर्तमान विचारित किया जा रहा आरोपी धीरज भी सम्मिलित है की मौजूदगी के संबंध में कोई तथ्य नहीं बताया गया है। निश्चित तौर से उसे आई हुई चोट के संबंध में आहत राजेश सर्वोत्तम साक्षी है और यदि इस बिन्दु पर उसका साक्ष्य कथन नहीं हुआ है तो आहत राजेश को घटना में उपहति कारित होने के संबंध में भी अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है।

54. इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य तथा साक्ष्य के विवेचन उपरांत उसके आधार पर घटना दिनांक को घटना समय स्थान पर वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपी धीरज के अन्य सहआरोपीगण के साथ विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए मौजूद होना इस दौरान आरोपी अन्य सहआरोपीगण बंदूक लिए होना तथा वर्तमान विचारित किए जा रहे आरोपी धीरज लाठी लिए हुए मौजूद होने का तथ्य प्रमाणित है। इस प्रकार घटनास्थल पर आरोपीगण जो कि संख्या में पांच से अधिक है की उपस्थिति का तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। उक्त आरोपीगण घटना स्थल पर घातक आयुध से सुसज्जित होकर आए थे जो कि उक्त विधि विरुद्ध जमाव का सामान्य उद्देश्य पूजाराम और जयकुमारपर वल व हिंसा का प्रयोग कर उनकी हत्या करने का था। आरोपीगण के द्वारा घटनास्थल पर फरियादी एवं मृतकों को रोकाकर सदोष अवरोध कारित किया। इसी घटना के दौरान पूजाराम एवं जयकुमार को गोली, चाकू व लाठी आदि से मारपीट करना और उनकी साशय हत्या कारित करना प्रमाणित है।

55. प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपी धीरज के अन्य सहआरोपीगण के साथ विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए मौजूद होने का तथ्य प्रमाणित है। सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य कर घटना कारित करने के संबंध में धारा 149 भा0दं0वि0 हेतु यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहे है तो इस आधार पर दोषसिद्ध ठहराई जा सकती है, भले ही यह प्रमाणित न हुआ हो कि उस आरोपी विशेष के द्वारा स्वयं कोई मारपीट की घटना की गई अथवा नहीं। जमाव के सभी

सदस्यों के द्वारा कोई कृत्य किया जाना भी आवश्यक नहीं है। जैसा कि इस संबंध में ए.आई.आर. 1997 एस.सी. 2810 प्रतापपोन्नी रविकुमार उर्फ रवि वि० स्टेट ऑफ ऑन्ध्र प्रदेश एवं 2009(2) सी.सी.एस.सी. 871 भूपेन्द्र बगैरह वि० उत्तर-प्रदेश राज्य इस बिन्दु पर उल्लेखनीय है, जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने मात्र के आधार पर धारा 149 भा०दं०वि० के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराई जा सकती है। वर्तमान प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर वर्तमान विचारित किये जा रहे आरोपी की अन्य सहआरोपीगण के साथ घटनास्थल पर मौजूदगी जो कि विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना और इस दौरान फरियादी व अन्य को सदोष अवरोध कारित करना तथा इस दौरान जयकुमार और पूजाराम की हत्या करना प्रमाणित होता है।

56. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में आई हुई सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियोजन अपना प्रकरण संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना दिनांक को घटना समय व स्थान पर वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपी धीरज के अन्य सहआरोपीगण छविराम, राजाभैया, मैदानसिंह, कल्लू उर्फ अरविन्दसिंह, उत्तमसिंह, अखिलेश, द्वारिका, हनुमंतसिंह, गजराज, मुन्ना, गुड्डू उर्फ रामेन्द्रसिंह तथा बीरसिंह के साथ विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य रहा है सिजका सामान्य उद्देश्य मृतक पूजाराम एवं जयकुमार की हत्या करने का था, इस दौरान वल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया तथा इस दौरान घातक आयुधों से सुसज्जित थे। आरोपी के द्वारा अन्य सहआरोपीगण के साथ मिलकर फरियादी व मृतकों को सदोष अवरोध कारित किया जाना भी प्रमाणित है तथा घटना दिनांक समय स्थान पर आरोपगण जिसमें कि वर्तमान विचारित किया जा रहा आरोपी धीरज भी शामिल था के द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में कार्य करते हुए मृतक पूजाराम व जयकुमार की हत्या करना भी प्रमाणित है। यद्यपि अभियोजन साक्ष्य के आधार पर घटना दिनांक को वर्तमान आरोपी के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर फरियादी व अन्य को अश्लील गाली गलोज कर क्षोभ कारित करने तथा अशोक कुमार एवं राजेश की हत्या का प्रयत्न किये जाने के संबंध में एवं आहत राजेश को उपहति कारित करने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई जाती है।

57. तदनुसार आरोपी धीरज को धारा 148, 341, 302/149 भा०दं०वि० के आरोप हेतु दोषसिद्ध ठहराया जाता है, जबकि उक्त आरोपी को धारा 294, 307, 323/149 भा०दं०वि० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

58. दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन अस्थाई रूप से स्थगित किया

जाता है।

(डी०सी०थपलियाल)

अपर सत्र न्यायाधीश

गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

पुनश्चयः:-

59. दण्ड के प्रश्न पर आरोपी धीरज के विद्वान अभिभाषक एवं राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक को सुना गया। अपर लोक अभियोजक ने व्यक्त किया कि घटना में दो व्यक्तियों की हत्या हुई है जो कि निर्मम है। आरोपी को विधि द्वारा विहित अधिकतम दण्डित किये जाने का निवेदन किया है। आरोपी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आरोपी ग्रामीण पृष्ठभूमि का कृषि करने वाला व्यक्ति है और उसकी कृषि उसी पर ही निर्भर है, वह आपराधिक प्रकृति का नहीं है। ऐसी दशा में दण्ड के बिन्दु पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने का निवेदन किया है।

60. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया, प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 148, 341, 302/149 भा०दं०वि० के अंतर्गत दोषसिद्ध होनी प्रमाणित होनी पाई गई। वर्तमान प्रकरण का जहाँ तक प्रश्न है, आरोपी धीरज का कोई पूर्व का आपराधिक रिकार्ड होना भी दर्शित नहीं है। प्रकरण बिरल से बिरलतम ममालों की श्रेणी में नहीं आता है जो कि इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ए.आई.आर. 1980 एस.सी. 898 बचनसिंह वि० स्टेट ऑफ पंजाब राज्य एवं ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 947 माचेसिंह वि० पंजाब राज्य में बिरल से बिरलतम प्रकरण की स्थिति दर्शाई गई है।

61. विचारोपरांत प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रकृति को देखते हुए आरोपी धीरज को धारा 148 भा०दं०वि० के आरोप हेतु 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं धारा 341 भा०दं०वि० के आरोप हेतु 01 माह का साधारण कारावास एवं धारा 302/149 भा०दं०वि० के आरोप हेतु आजीवन कारावास एवं 2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया जाता है। आरोपी को प्रदत्त उपरोक्त सभी धाराओं की मूल सजाएं एक साथ भुगताए जाने का आदेश दिया जाता है।

63. प्रकरण के अनुसंधान, जाँच एवं विचारण के दौरान आरोपी के द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अवधि उसकी मूल सजा में मुजरा की जाए। इस संबंध में धारा 428 दं.प्र.

सं. का प्रमाणपत्र तैयार किया जाए।

64. प्रकरण में सहआरोपीगण मुन्ना, गुड्डू उर्फ रामेन्द्रसिंह तथा बीरसिंह फरार हैं। उनके विरुद्ध विचारण शेष रहा है और प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल का निराकरण नहीं किया जा रहा है। प्रकरण सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ अभिलेखागार भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)